S.T-133/23

26-3-26 पी० डब्लू० का स्थानान्तरण हो गया है। एडवोकेट अभियुक्त अनुपस्थित है। तिथि - 26-5-26 उपस्थित हेतु।

26/05/26

प्रकाश अभियुक्त धारा 82 CrPC
सार्टिफाई मेरा नाम मुल्तानपुर निवासी अभियुक्त है
अभियोजन का अभियुक्त विरुद्ध गैर जमानती वारंट
अवलम्बित है पुलिस रिपोर्ट है कि अभियुक्त धारा
लिया 16/02/23 से अनुपस्थित चल आ रहे हैं
अभियुक्त के विरुद्ध लिया 03/04/23 N.B.W जारी किया
गया था उसका वापस लिया 12/12/23 को धारा 82 CrPC
जारी किया गया धारा 82 CrPC के तहत को नोटिस लिया
25/04/24 को कोरोना फिर लिया 11/12/24 को अभियुक्त
प्रकाश के विरुद्ध धारा 83 CrPC के अन्तर्गत प्रोसीड
करने लिया गया उसका वापस धारा 83 CrPC की प्रोसीड
के तहत को नोटिस लिया 04/08/25 को कोरोना इसके
बावजूद भी सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्त
पेश नहीं किया गया। अभियुक्त आज भी अनुपस्थित है
ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त प्रकाश के
विरुद्ध गिरफ्तारी के उपरान्त होने की सम्भावना पूर्णतः
नहीं हुआ है ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त प्रकाश
फरार (Absconder) घोषित किया जाता है
न्यायालय निर्णय की निर्देश दिया जाता है कि
अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी
अधोहस्ताक्षरी के नाम से निर्गत करें।
विशेषतौर अभियोजन अभियुक्त की अनुपस्थिति
में धारा 299 CrPC के अन्तर्गत साक्ष्य अभिलेख करेंगे
अतः न्यायालय निर्णय अभियोजन अभियोगपत्र पीठासीन
निर्देश के पालनार्थ अग्रेतर कार्य हेतु निर्गत किया जाय

The process u/s. 82 CrPC has been issued. And also call for ER of process but police has failed to execute the 82 on pl of accd. Hence the court has no option to resort to the provisions of Accd. Absconder. And issue fresh non-bail warrant. Accd is declared P.O. and pl. and A.P.P is directed to send the record of the proceeding with 1 forwarding

Permanent NBW issued
DBN. 322(viii)
30.05.26